परिवहन विभाग, हिमाचल प्रदेश,
शिमला– 171004 ।

दिनांक 17 अप्रैल, 2018

सार्वजनिक सूचना

राज्य सरकार ने परिवहन विभाग द्वारा बनाए गए स्कूलों में परिवहन सुरक्षा सम्बन्धी दिशा–निर्देशों को स्वीकृति प्रदान की है । साथ ही यह निर्णय भी लिया गया है कि उनके कार्यान्वयन से पूर्व उन पर सुझाव प्राप्त किए जाएं ताकि इन सुझावों को भी, यदि सम्भव हो, तो इन दिशा–निर्देशों में शामिल किया जा सके । अतः उक्त दिशा–निर्देशों को निम्न वैबसाईटों पर अपलोड किया जा रहा है :–

1. himachal.nic.in/en-IN/ (हिमाचल प्रदेश सरकार)
2. himachal.nic.in/transport (परिवहन विभाग, हिमाचल प्रदेश)
3. educationhp.org (उच्चतर शिक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश)
4. himachal.nic.in/eleedu/ (प्राथमिक शिक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश)

सभी से अनुरोध है कि इन दिशा–निर्देशों सम्बन्धी अपने सुझाव ई–मेल transport-hp@nic.in, व्हटसैप नं0 8219683715 अथवा पंजीकृत डाक के माध्यम से निदेशक परिवहन, हिमाचल प्रदेश, परिवहन भवन, शिमला– 171004 को अपने नाम व पते सहित दिनांक 01 मई, 2018 तक भेजें ।

हस्ता0 /–
निदेशक परिवहन
हिमाचल प्रदेश

Department of Transport
Himachal Pradesh

April 17, 2018

PUBLIC NOTICE

The State Government has approved the Guidelines formulated by the Department of Transport, Himachal Pradesh for School Transport Safety in the State. However, before their implementation, it has been decided to invite suggestions on them by putting them in the public domain, so that these suggestions could be incorporated in the Guidelines, if feasible.

The Guidelines are, therefore, being uploaded on the following websites.

1. himachal.nic.in/en-IN/ (Himachal Pradesh Government)
2. himachal.nic.in/transport (Department of Transport, Himachal Pradesh Government)
3. educationhp.org (Higher Education Department, Himachal Pradesh Government)
4. himachal.nic.in/eleedu/ (Elementary Education Department, Himachal Pradesh Government)

It is requested that suggestions regarding the guidelines may be sent through e-mail on transport-hp@nic.in, whatsapp Number 8219683715 or through registered post to the Director Transport, Himachal Pradesh, Parivahan Bhawan, Shimla- 171004 alongwith your name and address by 1st May, 2018.

Sd/-
Director Transport
Himachal Pradesh

DRAFT

GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH
DEPARTMENT OF TRANSPORT
HIMACHAL PRADESH

No: TPT-…………………….   Dated : Shimla-2 the, ______ April 2018

NOTIFICATION

The Hon'ble Supreme Court of India vide judgment dated 16.12.1997 in W.P.(Civil) 13029 of 1985 in the case of Sh. M.C. Mehta versus Union of India & Others has laid down guidelines for safe plying of school buses and to ensure safety of school children travelling in them.

Based on the judgment of the Hon'ble Supreme Court, the Central Board of School Education has issued detailed guidelines for the schools affiliated to it.

The National Commission For Protection Of Child Rights has also developed a Manual on safety and security of children in schools with a view to assist various Education Boards in India and the schools under them to have a common understanding regarding the basic safety and security measures/ requirements needed to be ensured for children.

The National Disaster Management Guidelines- School Safety Policy formulated by National Disaster Management Authority, Government of India also define 'School safety' as the creation of safe environments for children starting from their homes to their school and back.

The recent tragic accident involving a school bus near Nurpur, District Kangra, H.P. in which precious lives of little school children were lost, has once again brought into focus the need for a safe and secure transportation for school children in the State.

Based upon feedback from various enforcement agencies, it has come to the notice of the State Government that there are different categories of vehicles involved in transportation of school children of the schools affiliated to different Education Boards in the State and no integrated guidelines exist for them at present.

In view of this, the State Government has decided to issue comprehensive guidelines for school buses / vehicles engaged in transportation of school children in the State to ensure their safety and security while travelling to and from their schools.

Therefore, the guidelines annexed at Annexure-A with this Notification are hereby issued for strict implementation with immediate effect.

The following Monitoring Committees are constituted at the District and Sub-Divisional level for implementation of these guidelines:

<u>District level Monitoring Committee</u>:-

1.Deputy Commissioner	Chairman
2.Superintendent of Police	Member
3. Deputy Director, Higher Education	Member
4. Deputy Director, Elementary	Member
5. DM/RM, HRTC	Member
6. Secretary, Regional Transport Authority	Member Secretary

<u>Sub-Divisional level Monitoring Committee</u>:-

1. Sub-Divisional Magistrate	Chairman
2. Deputy Superintendent of Police	Member
3. Representative of Deputy Director, Higher Education (not below the rank of Principal of Sr. Sec. School)	Member
4. Block Elementary Education Officer	Member
5. Regional Manager, HRTC or his representative(not below Traffic Manager)	Member
6. Superintendent/ ARTO of Transport Deptt.	Member Secretary

These Committees will meet atleast once in every three months to ensure that the guidelines are being adhered to. The Sub-Divisional level Monitoring Committee will conduct the inspection of school transport vehicles in a manner that every vehicle and the attached manpower is covered once in three months. A schedule will be drawn and notified for the same.

(Ram Subhag Singh)
Additional Chief Secretary (Transport) to the
Government of Himachal Pradesh

Endst. No: No: TPT-………. Dated : Shimla-2 the, April 2018

Copy forwarded to the following for information and necessary action please:-

1. The Additional Chief Secretary-cum-Principal Secretary to the Hon'ble Chief Minister of Himachal Pradesh, Shimla-2.
2. All the Additional Chief Secretaries to the Government of Himachal Pradesh.
3. All the Principal Secretaries to the Government of Himachal Pradesh.
4. The Secretary (Education) to the Government of Himachal Pradesh with the request to consider including these guidelines in the norms/ conditions for grant/ renewal of recognition and affiliation of schools by the Department of Elementary Education/ HP Board of School Education and for inspections of schools to ensure their adherence by the schools..
5. The Private Secretary to the Chief Secretary to the Government of Himachal Pradesh, Shimla-2.
6. The Private Secretary to the Hon'ble Transport Minister of H.P.
7. All the Divisional Commissioners in Himachal Pradesh.
8. The Director General of Police, Himachal Pradesh, Nigam Vihar, Shimla-2,
9. The Director, Transport, Parivahan Bhawan, Shimla-4.
10. All Deputy Commissioners in Himachal Pradesh.
11. All the Superintendents of Police, Himachal Pradesh.
12. The Secretary, State Transport Authority-cum-Additional Commissioner, Transport, Himachal Pradesh.
13. All the Registrars of State Universities in Himachal Pradesh.
14. All the Regional Transport Officers in Himachal Pradesh.
15. All the Registering & Licensing Authorities-cum-SDMs in Himachal Pradesh.
16. The Secretary, HP Board of School Education, Dharamshala, Himachal Pradesh.
17. The Secretary, Technical Education Board, Sunder Nagar, Himachal Pradesh.
18. All the members of STA / RTA and State Transport Development and Road Safety Council, H.P.

Additional Chief Secretary (Transport) to the
Government of Himachal Pradesh

प्रारूप

DRAFT

ANNEXURE-A

परिशिष्ट–'क'

स्कूलों में परिवहन सुरक्षा संबंधी दिशा–निर्देश ।

वर्तमान में प्रदेश में स्कूली बच्चों के लिए परिवहन सुविधा उपलब्ध करवाने हेतु निम्न श्रेणियों के वाहनों का प्रयोग किया जा रहा है :–

(क) स्कूलों द्वारा स्वसंचालित बसें ।

(ख) स्कूलों द्वारा किराए पर ली गई निजी कॉन्ट्रेक्ट कैरिज/हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसें ।

(ग) स्कूली बच्चों को परिवहन सुविधा उपलब्ध करवाने हेतु प्रयोग में लाई जा रही टैक्सी/मैक्सी कैब वाहन ।

उपरोक्त तीन श्रेणियों के वाहनों हेतु सामान्य तथा श्रेणीवार दिशा–निर्देश निम्न होंगे :–

सभी श्रेणियों पर लागू सामान्य दिशा–निर्देश

i) स्कूल के बच्चों को ले जाने वाली बस/वाहन के पीछे और सामने प्रमुखता से { 400mm x 400mm के आकार में } ''स्कूल बस'' लिखा जाना चाहिये। अगर यह किराए की बस/वाहन है, तो उस पर ''स्कूल डयूटी पर'' स्पष्ट रुप से लिखा जाना चाहिये।

ii) चालक का विवरण (नाम, लाईसैन्स संख्या और टैलिफोन नं0), बस के भीतर तथा विद्यालय या बस के मालिक का नाम, चाईल्ड हैल्पलाईन नं0 1098 और वाहन की पंजीकरण संख्या को चमकीले रंग में बस के बाहर के प्रमुख स्थानों पर प्रदर्शित किया जाए। यह सूचना बस के सभी यात्रियों और लोगों को स्पष्ट रुप से दिखाई देनी चाहिए ताकि आवश्यकता पड़ने पर स्कूल प्रबन्धन/पुलिस या अन्य अधिकारियों को सूचित किया जा सके।

iii) यदि विद्यार्थियों की उम्र 12 वर्ष से कम हो तो वाहन/बस में बिठाए गए विद्यार्थियों की संख्या निर्धारित क्षमता से 1½गुना से अधिक नहीं होगी । 12 वर्ष से अधिक उम्र के विद्यार्थी को एक व्यक्ति माना जाएगा।

iv) बच्चों की सुरक्षा के दृष्टिगत स्कूल बस/वाहन की सीटें अज्वलनशील सामग्री की बनी होनी चाहिए ।

v) स्कूल बस/वाहन में एक प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स और पीने का पानी होना चाहिए ।

vi) स्कूल बस/वाहन में पर्दे तथा शीशों पर किसी प्रकार की फिल्म नहीं होनी चाहिए।

vii) बस/वाहन के अन्दर पर्याप्त प्रकाश होना चाहिए ।

viii) जब भी बस/वाहन सडक पर चल रहा हो तो उसके अन्दर की गतिविधियां बाहर से दिखाई देनी चाहिए ।

ix) किसी भी परिस्थिति में बस/वाहन में किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति को बैठने की अनुमति नहीं होगी ।

x) स्कूल बस/वाहन उसमें बच्चों के चढने व उतरने के समय स्थिर अवस्था में हों ।

xi) बस/वाहन में वाहन तथा यात्रियों का मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अन्तर्गत वैध बीमा होना चाहिए ।

xii) स्कूल बस/वाहन का निर्धारित समयावधि पर मोटर वाहन अधिनियम 1988 के प्रावधानों के अन्तर्गत फिटनेस प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा ।

xiii) प्रत्येक स्कूल बस/वाहन के रूट तथा ठहराव स्थलों का अनुमोदन क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण अथवा स्कूल प्रबंधन से करवाना अनिवार्य होगा तथा इसकी सूचना परिवहन विभाग तथा स्थानीय प्रशासन को देनी आवश्यक होगी ।

xiv) किसी भी ऐसी पंजीकृज बस/वाहन जिसकी आयु पाँच वर्ष या उससे अधिक हो, उसे स्कूल बस के रूप में पुराने परमिट पर

बदलाव अथवा नया परमिट जारी नहीं किया जाएगा एवं ऐसी बस/वाहन से स्कूल द्वारा नया अनुबंध नहीं किया जाएगा। हालांकि ऐसी बसों/वाहनों के परमिट/अनुबन्ध का नवीनीकरण किया जा सकता है ।

xv) स्कूल की स्वःसंचालित बसों तथा किसी स्कूल के साथ पूर्णकालिक तौर पर अनुबन्धित बसों/वाहनों को गहरे पीले रंग में पेंट किया जाएगा तथा इनमें दोनों ओर स्कूल का नाम स्पष्ट लिखा जाएगा ताकि इन्हें आसानी से पहचाना जा सके ।

xvi) प्रत्येक स्कूल बस/वाहन में ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (जी0पी0एस0) की व्यवस्था अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। स्कूल प्रबन्धन तथा वाहन स्वामी को यह सुनिश्चित करना होगा कि यह व्यवस्था हर समय सुचारू रूप से कार्य कर रही हो तथा इसके रिकॉर्ड की नियमित रूप से जांच हो तथा वह आवश्यकता पड़ने पर उपलब्ध हो । एक ऐप विकसित की जाएगी जिसके माध्यम से अभिभावकों और स्कूल प्रबन्धन को स्कूल वाहन की सही लोकेशन की जानकारी प्राप्त हो सके ।

xvii) स्कूल बस/वाहन के चालक के पास वैध ड्राईविंग लाईसेंस होना चाहिए ।

xviii) चालक की आयु साठ वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए ।

xix) बस/वाहन चालक की शारीरिक फिटनेस, जिसमें आँखों का परीक्षण भी शामिल है, की चिकित्सा जांच हर वर्ष होनी चाहिए व स्कूल प्रबन्धन चालक का स्वास्थ्य कार्ड बनाएगा । वाहन चालक को मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत सुरक्षा मानकों के अनुसार सक्षम अधिकारी द्वारा जारी फिटनेस प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा ।

xx) किसी भी स्कूल प्रबन्धन अथवा स्कूल बस/वाहन का चालक यदि मोटर वाहन अधिनियम 1988 अथवा उसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों के प्रावधानों तथा राज्य सरकार अथवा माननीय न्यायालय द्वारा जारी दिशा–निर्देशों का उल्लंघन करता पाया गया तो उसे नियमानुसार दण्डित किया जाएगा ।

xxi) स्कूल बस/वाहनचालक द्वारा ड्राईविंग करते समय मोबाईल फोन का उपयोग सर्वथा वर्जित होगा तथा उस पर विद्यार्थियों के साथ एक सीमा से परे कोई वार्तालाप करना प्रतिबधिंत होगा ।

स्कूल प्रबन्धन द्वारा की जाने वाली व्यवस्था संबंधी निर्देश

i) सभी स्कूल प्रबन्धन विद्यार्थियों की यात्रा के दौरान सुरक्षा सम्बन्धी इन दिशा–निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित करेगें ।

ii) प्रत्येक स्कूल को ट्रांसपोर्ट मैनेजर नामित करना चाहिए जो स्कूल बस/वाहन से यात्रा करने वाले बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु जिम्मेदार होगा । विद्यालय के उक्त परिवहन प्रबंधक का नाम और सम्पर्क विवरण बस/वाहन के अन्दर व बाहर प्रमुखता से प्रदर्शित होगा ।

iii) स्कूलों द्वारा किसी भी स्वसंचालित अथवा किराए पर ली गई ऐसी बस/वाहन को नहीं चलाना चाहिए, जिसके पास वैध परमिट न हो अथवा जो राज्य परिवहन विभाग द्वारा निर्धारित परमिट शर्तों को पूरा न करता हो ।

iv) स्कूल प्रबन्धन यह सुनिश्चित करेगा कि बस/वाहन जब चल रहे हों तो उनके दरवाजे बंद रहें ।

v) वह यह सुनिश्चित करेगा कि स्कूल बस/वाहन इस उद्‌देश्य हेतु निर्दिष्ट स्थान/चिन्हित बस स्टॉप पर ही रूके ।

vi) स्कूल प्रबन्धन स्कूल बस/वाहन में चढ़ने–उतरने हेतु सुरक्षित व्यवस्था करेगा।

vii) बस व वाहन चालक शराब अथवा किसी प्रकार के अन्य नशे की हालत में वाहन नहीं चलाएगा। इस सम्बन्ध में स्कूल प्रबन्धन द्वारा नियमित जांच सुनिश्चित की जाएगी । किसी भी संदेह की स्थिति में उक्त चालक का तुरन्त मेडिकल टेस्ट करवाया जाएगा तथा उसके विरूद्ध नियमानुसार उचित कार्रवाई, जिसमें उसके ड्राइविंग लाइसेंस को रद्‌द करने की कार्यवाही भी शामिल है, की जाएगी ।

viii) स्कूल प्रबन्धन द्वारा ऐसे किसी वाहन चालक को नियुक्त अथवा अनुबन्धित नहीं किया जाएगा जिस का;

(क) किसी भी तरह के अपराध के लिए वर्ष में दो बार से अधिक चालान किया गया हो जिसमें लाल बत्ती का उल्लंघन, लेन अनुशासन का उल्लंघन या अनधिकृत व्यक्ति को वाहन चलाने की अनुमति प्रदान करना शामिल है, अथवा

(ख) जिसका निर्धारित सीमा से अधिक गति पर वाहन चलाने, खतरनाक ढंग से वाहन चलाने अथवा भारतीय दंड संहिता की धाराओं 279, 337, 338 तथा 304 ए अथवा पॉस्को अधिनियम 2012 के अन्तर्गत एक बार भी चालान किया गया हो ।

इस सम्बन्ध में स्कूल प्रबन्धन द्वारा उक्त चालक से एक शपथ पत्र/घोषणा पत्र प्राप्त किया जाएगा कि इस प्रकार के अपराधों के लिए न तो पूर्व में उसके विरूद्व कोई मुकदमा चलाया गया है तथा न हीं वर्तमान में कोई मुकदमा लम्बित है। शपथ पत्र/घोषणा पत्र झूठा पाए जाने की स्थिति में उसे तत्काल सेवा मुक्त किया जाएगा तथा उसके विरूद्व अन्य कानूनी कार्यवाही भी की जाएगी।

ix) स्कूल प्रबन्धन द्वारा विद्यार्थियों को जब वे बस/वाहन में चढ़–उतर अथवा सफर कर रहे हों अनुशासित रहने हेतु प्रशिक्षण दिया जाऐगा ताकि इस दौरान किसी को चोट न आए ।

x) स्कूल प्रबन्धन स्कूल बस/वाहनों में विद्यार्थियों के चढ़ने–उतरने के समय स्कूल परिसर में उनकी पार्किंग हेतु आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करेगा । यदि ऐसा सम्भव न हो तो स्कूल बस/वाहन इस प्रकार पार्क होने चाहिए कि वे किसी प्रकार भी अन्य वाहनों के लिए यातायात में व्यवधान न डाले । ऐसे पार्किंग स्थलों पर स्कूल प्रबन्धन सी0सी0टी0वी0 कैमरों की व्यवस्था करेगा ।

xi) स्कूल परिसर के आस–पास यातायात नियंत्रण तथा संचालन हेतू स्कूल प्रबन्धन द्वारा अपने मानव संसाधन का उपयोग किया जाऐगा।

xii) जो विद्यार्थी स्कूल बस/वाहन में यात्रा की सुविधा का उपयोग कर रहे हों उनसे नियमित रूप से उनकी यात्रा बारे प्रतिक्रिया (फीडबैक) प्राप्त करनी होगी तथा उसका रिकॉर्ड रखा जाएगा ।

xiii) स्कूल प्रबन्धन जनता में जागरूकता लाने के लिए सड़क सुरक्षा सप्ताह के दौरान विद्यार्थियों को नाटक, प्रर्दशनी इत्यादि गतिविधियां करने के लिए प्रोत्साहित करेगा ।

xiv) इन दिशा निर्देशों की अनुपालना हेतू सरकार द्वारा गठित निगरानी समितियों द्वारा समय–समय पर बसों/वाहनों के निरीक्षण में स्कूल प्रबन्धन द्वारा पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाएगा।

<u>माता–पिता/अभिभावकों को सलाह</u>

i) स्कूल यात्रा के दौरान बच्चों की सुरक्षा हेतु माता–पिता/ अभिभावकों का सजग रहना भी आवश्यकहै।

ii) माता–पिता/अभिभावकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि स्कूल प्रबन्धन अथवा उनके द्वारा व्यवस्थित परिवहन व्यवस्था उनके बच्चों के लिए पूरी तरह सुरक्षित है।

iii) उन्हें चालक/अन्य कर्मचारियों द्वारा किए गए किसी भी उल्लंघन को नोट करना चाहिए तथा उसकी सूचना तुरन्त स्कूल प्रबन्धन अथवा संबंधित राज्य प्राधिकारियों को देनी चाहिए।

iv) माता–पिता/अभिभावकों को पी0टी0ए0 बैठक में अपने बच्चों के सुरक्षा पहलुओं तथा परिवहन व्यवस्था बारे चर्चा करनी चाहिए।

v) माता–पिता/अभिभावकों को उन वाहनों जिनमें स्कूली बच्चों के आवागमन हेतु वैध लाईसेन्स/परमिट न हों, का उपयोग नहीं करना चाहिए ।

vi) जो माता–पिता/अभिभावक अपने बच्चों को स्कूल लाने ले जाने हेतू अपने व्यक्तिगत वाहन का उपयोग करते हैं उन्हें अन्य माता–पिता /अभिभावकों से मिलकर वाहन पूल करने की व्यवस्था करनी चाहिए ।

श्रेणीवार दिशा–निर्देश

श्रेणी–1 : स्कूलों द्वारा स्वसंचालित बसें/वाहन ।

i) स्कूली बसों/वाहनों को गहरे पीले रंग में पेंट किया जाएगा तथा इनमें दोनों ओर स्कूल का नाम स्पष्ट लिखा जाएगा ताकि इन्हें आसानी से पहचाना जा सके ।

ii) स्कूल बस/वाहन पर आगे व पीछे स्कूल बस/स्कूल वाहन लिखा जाएगा ।

iii) बस की खिड़कियों में सीधे ग्रिल तथा जाली की व्यवस्था की जाएगी ।

iv) स्कूल प्रबन्धन यह सुनिश्चित करेगा कि प्रत्येक स्कूल बस में आपातकालीन द्वार की व्यवस्था हो ।

v) स्कूल बसों/वाहनों में छेडछाड रहित स्पीड गवर्नर फिट किये जाएंगे जिनकी अधिकतम गति सीमा 40 किलो मीटर प्रति घंटा होगी ।

vi) प्रत्येक स्कूल बस/वाहन में सी0सी0टी0वी0 कैमरे की व्यवस्था अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। स्कूल प्रबन्धन यह सुनिश्चित करेगा कि यह व्यवस्था हर समय सुचारू रूप से कार्य कर रही हो तथा इसके रिकॉर्ड की नियमित रूप से जांच हो तथा वह आवश्यकता पड़ने पर उपलब्ध हो ।

vii) स्कूल प्रबन्धन यह सुनिश्चित करेगा कि प्रत्येक स्कूल बस में ए0बी0सी0 प्रकार के पांच कि0ग्रा0 क्षमता वाले आई0एस0आई0 चिन्ह वाले दो अग्निशमन यन्त्र स्थापित हों, जिनमें से एक ड्राईवर के केबिन में रखा जाना चाहिए तथा दूसरा आपातकालीन निकास द्वार के पास होना चाहिए। चालक, परिचालक और महिला गार्ड/परिचर को अग्निशमन यंत्र संचालित करने का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए । स्कूल प्रबन्धन इनकी नियमित

जांच भी सुनिश्चित करेगा ताकि ये हर समय चालू हालत में रहे।

viii) स्कूल बस के चालक के पास भारी वाहन चलाने का न्यूनतम पांच वर्ष का अनुभव होना चाहिए।

ix) चालक के अतिरिक्त स्कूल बस में एक परिचालक भी होगा जिसके पास वैध लाईसैंस हो तथा जो हि0 प्र0 मोटर वाहन नियम, 1999 के नियम 22(3) के प्रावधानों के अन्तर्गत निर्धारित योग्यता रखता हो ।

x) स्कूल प्रबन्धन द्वारा प्रत्येक स्कूल बस में कम से कम एक प्रशिक्षित महिला गार्ड/परिचर की व्यवस्था भी सुनिश्चित करनी होगी जो बस में यात्रा कर रहे विद्यार्थियों की देखभाल करे तथा यात्रा के दौरान उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करे तथा उनकी बस में सुरक्षित रूप से चढ़ने–उतरने में आवश्यक सहायता करे ।

xi) स्कूल बैग को सुरक्षित रूप से रखने के लिए सीटों के नीचे या बस के अन्दर सुविधाजनक जगह की उपलब्धता हो ।

xii) स्कूल प्रबन्धन को यह भी निर्देश दिया जाता है कि वे स्वैच्छिक रूप से यथा सम्भव ऐसी व्यवस्था करे कि प्रत्येक स्कूल बस में कम से कम एक अभिभावक उपस्थित रहे जो यात्रा के दौरान बस चालक तथा अन्य स्टाफ के व्यवहार पर निगरानी रखे जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि बच्चों की सुरक्षा सम्बन्धी निर्देशों का अक्षरशः पालन हो तथा चालक बस को सावधानी से चलाए ।

xiii) स्कूल बसों में अलार्म तथा सायरन की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि किसी भी आपातकालिक स्थिति में सभी को सतर्क किया जा सके।

xiv) बस/वाहन चालक व परिचालक निर्धारित भूरे (Grey) रंग की वर्दी व काले रंग के जूते पहनेगा तथा वर्दी पर उसकी नेम प्लेट स्पष्टतः प्रदर्शित होगी ।

xv) स्कूल बस के अन्दर बस परिचालक के पास बस में यात्रा कर रहे विद्यार्थियों का उनके नाम, कक्षा, आवासीय पता, संपर्क

दूरभाष नं0, ब्लड ग्रुप, बस के रूकने के स्थान, रूट प्लान इत्यादि का रिकॉर्ड हमेंशा तैयार रहना चाहिए ।

xvi) बस चालकों की दक्षता एवं व्यवहार कुशलता में सुधार लाने हेतु उन्हें हर वर्ष रिफ्रेशर प्रशिक्षण कोर्स करवाया जाना चाहिए । इस प्रकार के रिफ्रेशर प्रशिक्षण कोर्स का आयोजन परिवहन विभाग द्वारा करवाया जाएगा।

xvii) स्कूल प्रबन्धन प्रत्येक स्कूल बस में एक मोबाईल फोन उपलब्ध करवाएगा ताकि किसी भी आपातकालीन स्थिति में स्कूल बस से सम्पर्क किया जा सके अथवा स्कूल बस चालक/परिचालक/पुलिस, स्कूल प्रबन्धन अथवा प्रशासन से सम्पर्क कर सके ।

श्रेणी–2 : स्कूलों द्वारा किराए पर ली गई निजी कॉन्ट्रेक्ट कैरिज श्रेणी /हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसें ।

i) स्कूलों द्वारा जो बसें किराए पर ली गई हैं उनका स्कूल के साथ अनुबन्ध होगा और उस बस का चालक उस अनुबन्ध की प्रति हमेशा अपने पास रखेगा ।

ii) ऐसी बसों में बस के आगे व पीछे ''ऑन स्कूल डयूटी'' लिखना अनिवार्य होगा ।

iii) ऐसी बसों के सम्बन्ध में स्कूल प्रबंधन को नजदीकी पुलिस स्टेशन में व जिला यातायात पुलिस को चालक का नाम व गाड़ी का विवरण देना अनिवार्य होगा ।

iv) बस की खिडकियों में सीधे ग्रिल तथा जाली की व्यवस्था की जाएगी ।

v) स्कूल प्रबन्धन यह सुनिश्चित करेगा कि प्रत्येक स्कूल बस में आपातकालीन द्वार की व्यवस्था हो ।

vi) स्कूल बसों में छेडछाड रहित स्पीड गवर्नर फिट किये जाएंगे जिनकी अधिकतम गति सीमा 40 किलो मीटर प्रति घंटा होगी ।

vii) प्रत्येक स्कूल बस/वाहन में सी0सी0टी0वी0 कैमरे की व्यवस्था अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। स्कूल प्रबन्धन तथा वाहन स्वामी यह सुनिश्चित करेगा कि यह व्यवस्था हर समय सुचारू रूप से कार्य कर रही हो तथा इसके रिकॉर्ड की नियमित रूप से जांच हो तथा वह आवश्यकता पड़ने पर उपलब्ध हो ।

viii) स्कूल प्रबन्धन तथा वाहन स्वामी यह सुनिश्चित करेगा कि प्रत्येक स्कूल बस में ए0बी0सी0 प्रकार के पांच कि0ग्रा0 क्षमता वाले आई0एस0आई0 चिन्ह वाले दो अग्निशमन यन्त्र स्थापित हों, जिनमें से एक ड्राईवर के केबिन में रखा जाना चाहिए तथा दूसरा आपातकालीन निकास द्वार के पास होना चाहिए। इसी तरह चालक, परिचालक और महिला गार्ड/परिचर को अग्निशमन यंत्र संचालित करने का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए ।

ix) स्कूल बस के चालक के पास भारी वाहन चलाने का न्यूनतम पाँच वर्ष का अनुभव होना चाहिए।

x) चालक के अतिरिक्त स्कूल बस में एक परिचालक भी होगा जिसके पास वैध लाईसैंस हो तथा जो हि0 प्र0 मोटर वाहन नियम, 1999 के नियम 22(3) के प्रावधानों के अन्तर्गत निर्धारित योग्यता रखता हो ।

xi) बस/वाहन चालक व परिचालक निर्धारित रंग की वर्दी पहनना अनिवार्य होगा । यदि बस हि0प0परि0नि0 की है तो निगम प्रबंधन द्वारा निर्धारित वर्दी एवं जूते पहनना अनिवार्य है अन्यथा नीले रंग की वर्दी व काले रंग के जूते पहनना अनिवार्य होगा । वर्दी पर उसकी नेम प्लेट स्पष्टतः प्रदर्शित होगी ।

श्रेणी–3 : <u>स्कूली बच्चों को परिवहन सुविधा उपलब्ध करवाने हेतु प्रयोग में लाई जा रही टैक्सी/मैक्सी कैब वाहन ।</u>

i) टैक्सी/मैक्सी कैब के आगे व पीछे ''स्कूल डयूटी पर'' स्पष्टतः लिखा होना चाहिए ।

ii) ऐसी टैक्सी/मैक्सी कैब के सम्बन्ध में स्कूल प्रबंधन को नजदीकी पुलिस स्टेशन में व जिला यातायात पुलिस को चालक का नाम व गाडी का विवरण देना अनिवार्य होगा ।

iii) वाहन के चालक का लाईसेन्स वाहन चलाते समय हमेशा वैध होना चाहिए ।

iv) टैक्सी/मैक्सी कैब का फिटनेस प्रमाण पत्र नियमों के अन्तर्गत लेना अनिवार्य होगा ।

v) टैक्सी/मैक्सी कैब में प्रथम चिकित्सा बॉक्स रखना अनिवार्य होगा ।

vi) टैक्सी/मैक्सी कैब में अग्नि शमन यन्त्र का रखना तथा उसका हर समय चालू हालत में होना अनिवार्य होगा ।

vii) टैक्सी/मैक्सी कैब में किसी भी प्रकार की ओवरलोडिंग नहीं होगी ।

viii) पाँच वर्ष से कम आयु के बच्चों को वाहन की अगली सीट पर नहीं बिठाया जाएगा ।

ix) टैक्सी/मैक्सी कैब में स्पीड गवर्नर फिट किये जाएंगे जिनकी अधिकतम गति सीमा 40 किलो मीटर प्रति घंटा होगी ।

x) वाहन चालक को निर्धारित नीले रंग की वर्दी व काले रंग के जूते पहनना अनिवार्य होगा । वर्दी पर उसकी नेम प्लेट स्पष्टतः प्रदर्शित होगी ।

----x-x-x-x----